BEFORE THE HON’BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 656 of 2024

NEWS ITEM TITLED "AVAIDH KHANAN KO LEKAR KHANAN VIBHAG AND RAJASVA VIBHAG UKHEEMATH DWARA KEE GAI BADEE KARYAVAHEE 3 LAKH SE ADHIK KA LAGAYA JURMANA APPEARING IN UTTARAKHAND SAMACHAR DATED 03.05.2024

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Action Taken Report on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board	
2.	Annexure 1 A copy of the letter dated 19.09.2024	
3.	Annexure 2 A copy of the letter dated 27.01.2025	
4.	Annexure 3 A copy of the letter dated 14.10.2024	

Filed by

[MUKESH VERMA]
Advocate for the applicant
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 11.02.2025

Action Taken Report on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board

In matter of

Original Application No. 656 of 2024

News Item titled " अवैध खनन को लेकर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग ऊखीमठ द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही एवं 3 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना" appearing in Uttarakhand Samachar dated 03.05.2024.

1. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 20.01.2025 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:-

"....

4. Further, three weeks' time, subject to the above conditions, is granted to the Member Secretary, UKPCB to comply with the earlier order and file the response disclosing the action taken for imposition of environmental compensation.

...."

2. That in compliance with aforesaid directions of this Hon'ble Tribunal, it is humbly submitted that the Regional Officer, UKPCB, Dehradun vide letter bearing no. 1071, dated 19.09.2024 informed the Member Secretary, UKPCB that the inspection was conducted on 28.08.2024 and the corresponding inspection report was duly submitted. In this connection, a copy of the letter dated 19.09.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 01**.

a. The report mentions that the excavation site is 24 meters in length and 35 meters in height (average), with an estimated extraction of 672 cubic meters (1,075.20 tons) of sub-mineral, out of which 121.44 tons stone were found on-site, while the remaining sub-mineral (soil and stone) had already been transported.

b. During inspection, it was found that currently, no mining activities of any kind are being conducted at the site and the residential house is being constructed by the land owners and the villagers along with the Gram Pradhan have not raised any objection to the said construction of the residential building on the aforementioned land.

3. That subsequently, the Member Secretary, UKPCB vide letter bearing no. 1569, dated 27.01.2025 directed Shri Kewala Nand S/o Late Shri Kulanand, R/o Gram-Dauda & Gram-Makku Matiyal Taul, to deposit an Environmental Compensation of Rs 395173/- as the illegal Mining done by Shri Kewala Nand has been assessed at 1075.20 tons. In this connection, a copy of the

letter dated 27.01.2025 is being marked and filed as **Annexure No. 02.**

4. That apart from above, it is pertinent to mention that vide order dated 25.09.2024 the Hon'ble Tribunal was pleased to issue the following directions: -

"………

3. Learned Counsel for Central Pollution Control Board (CPCB) has also referred to the communications annexures-2 Colly dated 25.07.2024 and 28.08.2024 sent by CPCB to Member Secretary, UKPCB for submitting the report in this regard. He has informed that in spite of the two communications, no report has been submitted by Member Secretary, UKPCB. Before the Tribunal also inspite of service of notice, Member Secretary, UKPCB has not appeared. Hence, we impose the cost of Rs. 25,000/- upon Member Secretary, UKPCB for not complying with the order of the Tribunal and not assisting the Tribunal as a result of which we have no option but to adjourn the case. Let cost be deposited by Member Secretary, UKPCB-respondent no.1 before the Registrar General of the Tribunal within two weeks.

……"

5. That in compliance of the aforesaid order, the Member Secretary, UKPCB vide letter dated 14.10.2024, deposited the said amount through Demand Draft no. "086014" before the Registrar

General, NGT. In this connection, copy of letter dated 14.10.2024 is being marked and filed as **Annexure No3.**

The above report is being presented for the consideration of Hon'ble NGT.

Dr. Parag Madhukar Dhakate
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control
Board

Annexure-1

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : roueppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-117 /2024–25/2019-1071 दिनांक: 19/09/2024

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन, आई0टी0 पार्क,
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 5609
Date 21/9/24

विषय– **मा0 एन0जी0टी0 में योजित O.A. No. 656/2024 News Item Titled "अवैध खनन को लेकर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग उखीमठ द्वारा की गयी बडी कार्यवाही, 3 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना" appearing in Uttarakhand Samachar dated 03-05-2024 की निरीक्षण आख्या के सबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–790/2024/665 दिनांक 08.08.2024 के अनुक्रम में मा0 हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति के सदस्यो द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.08.2024 को किया गया,

आख्या आपके अवलोकनार्थ एव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

E.E. P.K.J

Dr. Ajendra

23/09

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 656/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या :–

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 656/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :–

1. This Original Application is registered suo-moto on the basis of the news item titled "अवैध खनन को ले कर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग ऊखीमठ द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही, 3 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना" appearing in Uttarakhand Samachar dated 03.05.2024.
2. The news item relates to illegal mining being done in Daida village in Pauri Garhwal district of Uttarakhand. As per the article, the Mining and Revenue Department conducted a surprise inspection and raid of the concerned area, on which the issue of illegal mining and transportation in village Makku area has come to light.
3. The news item states that during investigation, mining of minerals (soil-stone) was found by JCB machine in Makku Chopta Motorway land on the left side of the road in Mathiana Tok of village Makku. The news item further highlights that the mining activity was being carried out without any kind of permission from the concerned authorities. The article also highlights that a total of 672 cubic meters i.e. 1075.20 tons of 2 sub-minerals have been excavated. Furthermore, the total quantity of sub-mineral stone found at the site was 121.44 tons and the remaining quantity was already transported by the concerned offender. The Mining and Revenue Department has imposed a fine of Rs. 3,48,915 on the concerned person as well as the JCB that was being used for mining. The news item does not disclose any action taken by competent authority for imposition EC for damage caused by illegal mining.
4. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms, especially compliance of the Environment (Protection) Act, 1986 and Sand Mining Guidelines, 2016.
5. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.
6. Hence, we implead the following as respondents in the matter:
   (1). Uttarakhand Pollution Control Board, through its Member Secretary, Gaura Devi Bhawan, 46 B, IT Park Sahastradhara, Dehradun, Uttarakhand - 248 001.
   (2). Central Pollution Control Board, through its Member Secretary, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032
   (3). District Magistrate, Pauri Garhwal Dhara Rd, Pauri, Dhandri Talli, Uttarakhand - 246 001.
7. Issue notice to the above respondents for filing their response at least one week before the next date of hearing.
8. Having regard to the encroachment and extent of illegal mining as reflected in the news item and the photographs depicted therein, we deem 3 it proper to form a joint Committee comprising of the representative of the Member Secretary, UPPCB; RO, MoEF&CC, Chandigarh and the District Magistrate, Pauri Garhwal. The District Magistrate, Pauri Garhwal will act as coordinating agency in the Committee. The joint Committee will visit the site, ascertain the correct position, the truthfulness of the facts disclosed in the news item as mentioned above and the extent of illegal mining which has been done in the area concerned and also suggest the remedial action and submit the action taken report before the Tribunal within eight weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

Vipin Gupta

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के कार्यालय आदेश सं0–5210 दिनांक 14 अगस्त, 2024 द्वारा निम्नवत् समिति का गठन करते हुए दिनांक 28.08.2024 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है :–

1. डॉ0 विपिन गुप्ता, वैज्ञानिक–सी0 क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
2. डॉ0 आर.के. चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
3. उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग, वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।
4. उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।
5. उप निदेशक,/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 तथा जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 28.08.2024 को संयुक्त रूप से गठित समिति के सदस्यों द्वारा (उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को छोड़कर) ग्रामवासी मक्कू, ग्राम प्रधान तथा तथा भू–स्वामी की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया। (उपस्थिति संलग्न)
आख्या निम्नवत् है :–

1– दिनांक 02.05.2024 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम मक्कू क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन परिवहन की जांच के दौरान ग्राम मक्कू के मठियाणा तोक में सड़क के बायें किनारे जे0सी0बी0 मशीन द्वारा उपखनिज (मिट्टी पत्थर) का खनन करते पाया गया। मौके पर पूछ ताछ पर पता चला कि स्थल पर खनन का कार्य श्री केवलानन्द मैठानी पुत्र स्व0 कुलानन्द मैठानी निवासी ग्राम मक्कू मठियाणा द्वारा कराया जा रहा है। मौके पर श्री केवलानन्द को बुलाया गया तथा पूछने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर भवन निर्माण हेतु भूमि समतलीकरण/खुदान का कार्य कराया जा रहा है। भूमि समतलीकरण/खुदान बाबत अनुमति पत्र मांगे जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्खनित स्थल की पैमाईस की गयी, जिसकी लम्बाई 24 मी0, चौ0 8 मी0 (औसत) तथा ऊँचाई 3.5 मी0 (औसत) पायी गयी। उक्तानुसार स्थल से कुल 672 घन मी0 अर्थात 1075.20 टन उपखनिज उत्खनित हुयी थी, जिसमें उपखनिज पत्थर कुल 121.44 टन मौके पर पाया गया। शेष उपखनिज (मिट्टी–पत्थर) का उपरोक्त भू–स्वामी द्वारा पूर्व में ही अन्यत्र परिवहन कर दिया गया था। मौका फर्द (सलंग्नक–1) तैयार कर हस्ताक्षर किये गये। उपरोक्त बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण/खुदान करना तथा खनिजों का परिवहन करना उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम 3 तथा 53 (2) (4) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली–2021 यथा संशोधित दिनांक 14.11.2023 के नियम 14 (5) (क) (ख) के अन्तर्गत उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर (प्रथमबार में) रायल्टी का दो गुना कुल रू0 1,48,915.00 की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या–09/दिनांक 03 मई, 2024 (सलंग्नक–2) द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। उपरोक्त नोटिस के क्रम में श्री केवलानन्द द्वारा कुल देय धनराशि रू0 1,48,915.00 को ई–चालान सं0–08530524E0039397 दिनांक 18 मई, 2024 (सलंग्नक–3) द्वारा जमा कर दिया गया। उक्त के अतिरिक्त बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण में लिप्त जे.सी.बी. मशीन सं0 UK13 CA-5511 पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2021 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत जे0सी0बी0 हेतु निर्धारित अर्थदण्ड रू0 2,00,000.00 की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या– 25/दिनांक 15 मई, 2024 (संलग्नक–4) द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। उपरोक्त नोटिस के क्रम में श्री राजकुमार तिवारी, मशीन स्वामी द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड रू0 2,00,000.00 का ई–चालान सं0 08530524E0059906 दिनांक 27 मई 2024 (संलग्नक–5) द्वारा जमा कर दिया गया। उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश सं0 43/दिनांक 29 मई, 2024 (संलग्नक–6) द्वारा राजस्व उप निरीक्षक दैड़ा, तहसील ऊखीमठ की अभिरक्षा में रखी गयी जे0सी0बी0 मशीन को अवमुक्त करने के आदेश दिये गये।

2– राजस्व अभिलेखानुसार समतलीकरण/खुदान की गयी भूमि खाता सं0 13 के खसरा सं0 3893 व 3894 कुल रकबा 0.071 है0 श्री केवलानन्द पुत्र स्व0 कुलानन्द ग्राम मक्कू पटवारी क्षेत्र दैड़ा तहसील ऊखीमठ के नाम श्रेणी 1 (क) (संक्रमणीय अधिकारवाले भूमिधरों की भूमि) दर्ज अभिलेख है। भवन के निर्माण हेतु

Vipin Gupta

समतलीकरण / खुदान की गयी भूमि पर मालिकाना हक श्री केवलानन्द मैठानी का है, जिसमें निरीक्षण दिनांक 28.08.2024 को भवन निर्माणधीन पाया गया। खसरा एवं खतौनी की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–7)**

3– मौका निरीक्षण दिनांक 28.08.2024 को मौके पर उपस्थित भू–स्वामी श्री केवलानन्द द्वारा लिखित बयान दिया गया, जिसमें दो गवाहों के हस्ताक्षर है में उल्लेख किया गया है कि " मैं केवलानन्द मैठानी पुत्र कुलानन्द मैठानी ग्राम मक्कू तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग वाला बयान देता हूँ कि ग्राम मक्कू क्षेत्रान्तर्गत ख0खा0 सं0 13 के खसरा सं0 3893, 3894 कुल रकबा 0.0710 है0 भूमि मेरी पुश्तैनी (बाप–दादा) की है, जिसमें भवन निर्माण हेतु भूमि का समतलीकरण किया गया। भूमि समतलीकरण हेतु अनुमति सक्षम स्तर से लिये जाने की पूर्व में जानकारी ना होने के कारण अपनी भूमि समतल की गयी। विभाग द्वारा जांच के दौरान बिना अनुमति समतलीकरण करने / अपनी भूमि खुदान करने पर निकले उपखनिज व बिना अनुमति जे0सी0बी0 मशीन के प्रयोग करने पर विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना समस्त विभाग को जमा कर दिया गया हैं वर्तमान में समतलीकरण किये गये भूमि पर अपना आवासीय का भवन निर्माण कर रहा हूँ, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है" । **(सलंग्नक–8)**

4–उक्त के अतिरिक्त मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान द्वारा एक लिखित प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसमे उल्लेख किया गया है कि " प्रमाणित किया जाता है कि श्री केवलानन्द मैठाणी पुत्र स्व0 श्री कुलानन्द मैठानी ग्राम मक्कू जो मक्कूमठ तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग के मूल निवासी है, इनका ख0खा0सं0 13 के खसरा सं0 3893 कुल क्षेत्रफल 0.0710 है0 नाप भूमि पर जो कि राजस्व विभाग द्वारा जारी है, पर अपना आवासीय भवन निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ग्राम सभा कि कोई आपत्ति नहीं है। अतः मैं इन्हें भली भाँति जानता हूँ तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ "। **(संलग्नक–9)**

5–प्रकरण में भू–स्वामी द्वारा अपनी निजी नाप भूमि पर भवन निर्माण हेतु भूमि समतलीकरण किया गया है जिसमें भवन निर्माणाधीन है। पूर्व में भू–स्वामी व जे0सी0बी0 मशीन स्वामी पर बिना अनुमति के खुदान करने व उपखनिज का अन्यत्र परिवहन करने पर अधिरोपित धनराशि दोनों व्यक्तियों द्वारा जमा कर दी गयी है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल पर भवन निर्माण करने पर मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों, ग्राम प्रधान आदि को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

Vipin Gupta
(डा0 विपिन गुप्ता)
वैज्ञानिक सी
क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, देहरादून

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी,
भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग,
रूद्रप्रयाग।

(अनिल शुक्ला)
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रूद्रप्रयाग

संलग्नक-01

मौका फर्द

आज दिनांक 02/5/2024 को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग रुद्रप्रयाग के प्रतिनिधि उपनिदेशक/वरि. खान अधिकारी तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक (दैड़ा) द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम मक्कु क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन परिवहन की जाँच की गयी। जाँच के दौरान ग्राम मक्कु के मठियाणा तोक में सड़क के बायें किनारे (मक्कु-चोपता मोटर मार्ग) जे.सी.बी. मशीन से खनन (मिट्टी-पत्थर) किया जाना पाया गया। मौके पर पूछ-ताछ पर पता चला कि स्थल पर खनन का कार्य श्री केवलानन्द मैठानी पुत्र स्व. श्री कुलानन्द मैठानी ग्राम मक्कु मठियाणा द्वारा कराया जा रहा है। मौके पर उपरोक्त श्री केवलानन्द को मौके पर बुलाया गया तथा पूछने पर अवगत कराया गया स्थल पर भवन निर्माण हेतु समतलीकरण/खुदान का कार्य किया जा रहा है। भूमि के समतलीकरण/खुदान बावत अनुमति पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रकरण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त के खनन किया जाना उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 3 का उल्लंघन है। मौका स्थल पर उत्खनित क्षेत्र की पैमाईश की गयी जिसकी लम्बाई 24 मी. चौ. 8 मी. (औसत) तथा ऊँ. 3.5 मी. (औसत) मापी गयी। उत्खनित स्थल पर मिट्टी व पत्थर लगभग 50-50 प्रतिशत मात्रा में उत्खनित हुआ है। मौके पर उत्खनित पत्थर का एक चट्टा एकत्रित पत्थर जिसकी ल. 9 मी. चौ. 3 मी. तथा ऊँ. 1.70 मी. पायी गयी। मौका स्थल पर ~~पत्थरों~~ कुछ पत्थर (स्वस्थाने चट्टान) बिखरी अवस्था में भी पड़े हैं जो लगभग 05 ट्रक (06 घन मी. प्रत्येक) पड़े हैं। प्रश्नगत स्थल के पूरब दिशा में उपर श्री कुशलानन्द की गौशाला, पश्चिम दिशा में श्री जय सिंह का आवासीय भवन, उत्तर दिशा में मक्कु-चोपता मोटर मार्ग तथा दक्षिण दिशा में उपर उपरोक्त श्री केवलानन्द का आवासीय भवन निर्माण है। प्रश्नगत स्थल का जी.पी.एस. कोर्डिनेट उ. 38°28'43" पूरब 79°08'16" है। प्रश्नगत स्थल राजस्व अभिलेखानुसार ग्राम मक्कु के खतौनी खाता सं. 13, खसरा सं. 3893 व 3894 कुल रकबा 0.071 हे० में 0.020 हे० क्षेत्रफल है जिसमें बिना अनुमति खुदान कार्य पाया गया। भूमि के समतलीकरण/खुदान में बिना अनुमति के प्रयुक्त जे.सी.बी. मशीन सं. UK13CA-5511 को सीज कर तहसील परिसर में खड़े करने हेतु मौके पर क्षेत्रीय रा. उ. नि. (दैड़ा) श्री गोविन्द लाल की सुपुर्दगी में दिया गया। विस्तृत आख्या पृथक से तैयार कर/नोटिस प्रेषित की जायेगी।

[signature] - मैठाणी [signature] [signature]

।। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग ।।

पत्रांक : 09 / भू0खनि0वि0 / रू0प्र0 / अवै0खन0 / 2024–25, दिनांक 03 मई, 2024

//नोटिस//

श्री केवलानन्द मैठाणी पुत्र स्व0 श्री कुलानन्द,
ग्राम मक्कू तोक मठियाणा,
रा0उ0नि0 क्षेत्र दैड़ा,
तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग।

दिनांक 02.05.2024 को अधोहस्ताक्षरी एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, दैड़ा श्री गोविन्द लाल, तहसील ऊखीमठ द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम मक्कू क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/परिवहन की जांच की गयी। जांच के दौरान ग्राम मक्कू के मठियाणा तोक में सड़क के बहायें किनारे (मक्कू–चोपता मोटर मार्ग) भूमि में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा उपखनिज का खनन (मिट्टी–पत्थर) किया जाना पाया गया। मौके पर पूछ–ताछ करने पर पता चला कि स्थल पर खनन का कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। आपके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर भवन निर्माण हेतु समतलीकरण/खुदान कार्य किया जा रहा है। भूमि के समतलीकरण/खुदान बावत अनुमति पत्र मांगे जाने पर आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये खनन किया जाना उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम 3 तथा उक्त नियमावली के अध्याय 6 के नियम 53 (2) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन है। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 यथा संशोधित 14.11.2023 के अर्न्तगत अवैध उत्खनित खनिज की मात्र पर प्रथम बार में प्रचलित रायल्टी का दो गुना अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।

मौका स्थल पर उत्खनित क्षेत्र की पैमाईस की गयी, जिसकी लम्बाई 24 मी0, चौ0 8 मी0 (औसत) तथा ऊं0 3.5 मी0 (औसत) मापी गयी। इस प्रकार कुल 672 घनमीटर अर्थात 1075.20 टन उपखनिज (पत्थर मिट्टी) जो लगभग 50–50 प्रतिशत का उत्खन्न हुआ है, जिसमे से मौके पर उपखनिज पत्थर का एक चट्टा लं0 9 मी0, चौ0 3 मी0 तथा ऊँ0 1.70 इस प्रकार कुल 45.90 घन मीटर अर्थात 73.44 टन तथा स्थल पर बिखरी अवस्था में लगभग 5 ट्रक (प्रत्येक 6 घनमीटर) कुल लगभग 30 घनमीटर अर्थात 48 टन इस प्रकार स्थल पर कुल उपखनिज पत्थर की मात्रा 121.44 टन पायी गयी तथा शेष उपखनिज (पत्थर मिट्टी) का आपके द्वारा अन्यत्र परिवहन कर दिया गया है।

मौके पर उत्खनित उपखनिज कुल मात्रा 672 घन मीटर अर्थात 1075.20 टन में से 50 प्रतिशत उपखनिज मिट्टी की मात्रा 537.60 टन पर रायल्टी का दो गुना (537.60X100) =53,760 तथा 50 प्रतिशत उपखनिज पत्थर (स्वस्थानें किस्म की चट्टान/नदी तल से भिन्न स्थान) की मात्र 537.60 टन पर रायल्टी का दो गुना (537.60X177)= 95,155.00 इस प्रकार **कुल रू0–1,48,915.00** की धनराशि अधिरोपित होती है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा बिना अनुमति के उत्खनित उपखनिज कुल मात्रा 672 घन मीटर अर्थात 1075.20 टन में से 50 प्रतिशत उपखनिज मिट्टी की मात्रा 537.60 टन पर रायल्टी का दो गुना (537.60X100) =53,760 तथा 50 प्रतिशत उपखनिज पत्थर (स्वस्थानें किस्म की चट्टान/नदी तल से भिन्न स्थान) की मात्र 537.60 टन का अवैध खनन किये जाने पर देय कुल धनराशि रू0–1,48,915.00 को ई–चालान के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक 0853 00 102 01 00 में जमा कराते हुए अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये अथवा आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो अपना पक्ष/प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक नही पाये जाने की दशा में आपके विरूद्ध अवैध उपखनिज की मात्रा पर उपरोक्तानुसार देय धनराशि अधिरोपित करते हुए भू–राजस्व की भांति धनराशि वसूल की जायेगी।

संलग्नक– 1)– फर्द
2)– फोटोग्राफ

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

2/–

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2— तहसीलदार, ऊखीमठ को 02 प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की एक प्रति संबंधित पक्ष पर तामिल कराते हुए तामिली आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3— श्री गोविन्द लाल रा0उ0नि0 क्षेत्र दैड़ा तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 02.05.2024 को आपकी सुपुर्दगी में दी गयी जे0सी0बी0 मशीन संख्या— यू0के0 13 सी0ए0—5511 को अधोहस्ताक्षरी के अग्रिम आदेशों तक अपनी अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित जे0सी0बी0 मशीन को बिना अनुमति के अवमुक्त की गयी तो सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सत्यापन क्र- 03

IFMS Uttarakhand

e-Challan

Bank Reff. No. - CPADVBGKJ8

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	KEWLANAND MAITHANI SO KULANAND MAITHANI
2	Address	MAKKU
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	MINING PENALTY
5	Gross value of Challan	148915
6	Net value of Challan	148915
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Rudraprayag
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	148915
	Total Challan Amount-		148915

Amount (in words) - Rs. One Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred Fifteen only

Signature of departmental officer with seal

KEWLANAND MAITHANI SO KULANAND MAITHANI

Challan No- 08530524E0039397

Date - 18-MAY-2024

Amount in Figure(Rs.) - 148915

Amount in words - Rs. One Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred Fifteen only

Received Through

Bank Reff. No. - CPADVBGKJ8

State Bank Of India (Payment Gateway)

संलग्नक- 04

।। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग ।।

पत्रांक : 25 / भू0खनि0वि0 / रू0प्र0 / अवै0खन0 / 2024–25, दिनांक 15 मई , 2024

/ / नोटिस / /

श्री राजकुमार तिवारी पुत्र भगवती प्रसाद तिवारी,
ग्राम चुन्नी, रा0उ0नि0 क्षेत्र ऊखीमठ,
तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग।

दिनांक 02.05.2024 को अधोहस्ताक्षरी एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, दैड़ा द्वारा ग्राम मक्कू क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन / परिवहन की जांच की गयी। जांच के दौरान ग्राम मक्कू के मठियाणा तोक में सड़क के बायें किनारे (मक्कू–चोपता मोटर मार्ग) भूमि में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा उपखनिज का खनन (मिट्टी–पत्थर) किया जाना पाया गया। भू–स्वामी श्री केवलानन्द मैठाणी पुत्र स्व0 श्री कुलानन्द, ग्राम मक्कू तोक मठियाणा द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर भवन निर्माण हेतु समतलीकरण / खुदान कार्य कराया जा रहा है। जिसकी अनुमति मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 यथा संशोधित 14.11.2023 के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत मौका फर्द तैयार किया गया तत्समय मशीन स्वामी का नाम व पता की जानकारी ना होने के कारण मौका फर्द में उल्लेख नहीं किया गया। जे0सी0बी0 मशीन के स्वामी का नाम व पता की जानकारी दिये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–12 / दिनांक 04 मई, 2024 द्वारा उपरोक्त राजस्व उप निरीक्षक दैड़ा को वाटसऐप के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.05.2024 को वाटसअप के माध्यम से प्रेषित पत्र में उपरोक्त ग्राम मक्कूमठ के मठियाणा तोक में भूमि समतलीकरण / खनन में लिप्त जे0सी0बी0 मशीन के स्वामी श्री कर्मवीर सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह ग्राम चुन्नी, रा0उ0नि0 क्षेत्र व तहसील ऊखीमठ का नाम उल्लिखित किया गया था। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 20 / भू0खनि0वि0 / रू0प्र0 / अवै0खन0 / 2024–25 दिनांक 10 मई, 2024 द्वारा उपरोक्त श्री कर्मबीर सिंह को नोटिस निर्गत किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक दैड़ा द्वारा वाटसअप के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 14.05.2024 समय सायं 5:54 को प्रेषित खुलास रिर्पोट में उल्लेख किया गया कि "श्री कर्मवीर द्वारा अवगत कराया कि मै और श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी द्वारा पार्टनर के तौर पर कार्य किया जाता है। जे0सी0बी0 मशीन संख्या– UK 13CA- 5511 श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी के नाम आर0सी0 जारी है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त नोटिस जे0सी0वी0 स्वामी श्री राजकुमार तिवारी पुत्र भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी के नाम से अभिलेखों के आधार पर जारी होना है"। राजस्व उप निरीक्षक दैड़ा के उपरोक्त पत्र दिनांक 14.05.2024 के दृष्टिगत इस कार्यालय के नोटिस पत्रांक: 20 / दिनांक 10 मई, 2024 को निरस्त करते हुए आपके द्वारा बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन से भूमि समतलीकरण / खुदान किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के नियम 14 (2) के अर्न्तगत रू0 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित होता है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण / खुदान में प्रयुक्त किये गये जे0सी0बी0 मशीन पर देय धनराशि रू0 2.00 लाख को ई–चालान के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक 08530010201 में जमा कराते हुए अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध करायें अथवा आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो अपना पक्ष / प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक नही पाये जाने की दशा में आपके विरूद्ध बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण / खुदान में प्रयुक्त जे0सी0बी0 मशीन सं0 UK13 CA-5511 पर उपरोक्तानुसार देय धनराशि अधिरोपित करते हुए भू–राजस्व की भांति धनराशि वसूल की जायेगी।

संलग्नक– फर्द, फोटोग्राफ व रा0उ0नि0 दैड़ा की रिर्पोट।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– तहसीलदार, ऊखीमठ को 02 प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की एक प्रति संबंधित पक्ष पर तामिल कराते हुए तामिली आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– श्री गोविन्द लाल रा०उ०नि० क्षेत्र दैड़ा तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 02.05.2024 को आपकी सुपुर्दगी में दी गयी जे०सी०बी० मशीन संख्या– UK13CA-5511 को अधोहस्ताक्षरी के अग्रिम आदेशों तक अपनी अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित जे०सी०बी० मशीन को बिना अनुमति के अवमुक्त की गयी तो सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

IFMS Uttarakhand

e-Challan

संदर्भांक - 05
Bank Reff. No. - CPADVPIND1

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	RAJKUMAR TIWARI SO BHAGWATI PRASAD
2	Address	VILLAGE CHUNNI PC UKHIMATH - TEHSIL UKHIMATH
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	भूमि समतलीकरण खुदान में बिना अनुमति के J C B के उपयोग हेतु चालान
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Rudraprayag
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
	Total Challan Amount-		200000

Amount (in words) - Rs. Two Lakh only

Signature of departmental officer with seal

RAJKUMAR TIWARI SO BHAGWATI PRASAD

Challan No- 08530524E0059906

Date - 27-MAY-2024

Amount in Figure(Rs.) - 200000

Amount in words - Rs. Two Lakh only

Received Through

Bank Reff. No. - CPADVPIND1

State Bank Of India (Payment Gateway)

।। आदेश ।।

कार्यालय नोटिस संख्या–25 / भू0खनि0वि0 / रू0प्र0 / अवै0खन0 / 2024–25 दिनांक 15 मई 2024 के द्वारा ग्राम मक्कू के मठियाणा तोक में सड़क के बांये किनारे (मक्कू–चोपता मोटर मार्ग) भूमि समतलीकरण / खुदान कार्य बिना अनुमति के जे0सी0बी0 मशीन (UK-13-CA/5511) के द्वारा किये जाने पर रू0–2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित करते हुए श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी, ग्राम चुन्नी रा0उ0नि0 क्षेत्र ऊखीमठ तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग को नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस तहसीलदार, ऊखीमठ के द्वारा व्हाट्स–अप के माध्यम से संबंधित के मो0नं0–9411550870 पर प्रेषित किया गया।

तहसीलदार, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक–309 / टी0सी0–नोटिस / 2024 दिनांक 28 मई 2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 27.05.2024 को जे0सी0बी0 मशीन संख्या यू0के0 13 सी0ए0 / 5511 पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू0–2.00 लाख का चालान संख्या–08530524E0059906 दिनांक 27.05.2024 को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853001020100 में जमा कर दिया गया है।

अतः श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा उनके जे0सी0बी0 मशीन (UK-13-CA/5511) पर बिना अनुमति के भूमि समतलीकरण / खुदान कार्य किये जाने पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि रू0–2.00 को ई–चालान संख्या 08530524E0059906 दि0 27.05.2024 को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853001020100 में जमा खजाना कर दिये जाने के दृष्टिगत, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र दैड़ा तहसील ऊखीमठ की अभिरक्षा में रखी गयी उक्त जे0सी0बी0 मशीन को अवमुक्त किया जाता है।

ह0/–
(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग ।।

संख्या– 43 / भू0खनि0वि0 / रू0प्र0 / अवै0खन0 / 2024–25 दिनांक मई, 29 ,2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी–देहरादून।
2– जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग।
3– उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।
4– तहसीलदार, ऊखीमठ।
5– राजस्व उप निरीक्षक, दैड़ा तहसील ऊखीमठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी अभिरक्षा में रखी जे0सी0बी0 मशीन (UK-13-CA/5511) को अवमुक्त करते हुए संबंधित पक्ष को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें।
6– श्री राजकुमार तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी ग्राम चुन्नी तहसील ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग।

उप निदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

संलग्नक- 07

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 042162 ग्राम का नाम / परगना : मक्कू (दैडा)(ऊखीमठ) तहसील : उखीमठ जनपद : रूद्रप्रयाग फसली वर्ष : 1408-1413

1-भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खाता खतौनी का संख्या ---- 1 ----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ---- 2 ----	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ---- 3 ----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ---- 4 ----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ---- 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ---- 6 ----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ---- 7-12 ----
00013	कुलानन्द/लोकानन्द/नि. ग्राम	1373	114	0.0210	4.00	मु0 आ0श्रीमान सु0 का 0 महोदय ऊखीमठ के आदेश दि027-6-2004 के अनुपालन में मृतक कुलानन्द पुत्र लोकानन्द के बजाय उनके वारिसान केवलानन्द नागेन्द्रदत्त पुत्रगण कुलानन्द के नाम बा0 खा0स्वीकृत होने से आमल बरामद किया ह0पटवारी
		1373	115	0.0130		
		1373	119	0.0100		
		1373	120	0.0280		
		1373	138	0.0130		
		1373	139	0.0050		
		1373	216	0.0260		
		1373	217	0.0180		
		1373	218	0.0210		
		1373	219	0.0190		
		1373	220	0.0140		
		1373	221	0.0200		
		1373	222	0.0190		
		1373	520	0.0300		
		1373	521	0.0130		
		1373	522	0.0100		
		1373	535	0.0310		
		1373	536	0.0190		
		1373	537	0.0600		
		1373	538	0.0080		
		1373	1720	0.0060		
		1373	1768	0.0060		
		1373	1772	0.0010		
		1373	1777	0.0230		
		1373	2284	0.0060		
		1373	2289म	0.0010		
		1373	2295	0.0130		
		1373	2296	0.0060		
		1373	2339	0.0210		
		1373	2343	0.0230		
		1373	2788	0.0200		
		1373	2789	0.0250		
		1373	2891	0.0150		
		1373	2892	0.0230		
		1373	2893	0.0280		
		1373	3850	0.0800		

उद्धरण खतौनी

खाता खतौनी का क्रमांक --- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान --- 2 ---	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष --- 3 ---	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या --- 4 ---	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) --- 5 ---	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान --- 6 ---	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनॉक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद --- 7-12 ---
		1373	3893	0.0210		
		1373	3894	0.0500		
		1373	3912	0.0030		
		1373	2913	0.0340		
		1373	2914	0.0380		
		1373	4032	0.0240		
			42	0.8650		

कुल गाटे: चार दो कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव आठ छः पाँच कुल भू-राजस्व: चार दशमलव शून्य शून्य

Data Digitally Signed by : DHANPAL SINGH BHANDARI

सम्बन्धित अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : उखीमठ जनपद : रू

दिनॉक एवं समय : 14-05-2024 10:55:16

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

तहसीलदार उखीमठ रुद्रप्रयाग

संलग्नक - 7 ß

नकल खसरा प0 क0 -3

ग्राम अकंडु पटवारी वृत डेडा तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग। फसली वर्ष .... से फसली वर्ष ....

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	खतौनी संख्या	खतौनी के भाग में खातेदार का नाम	भाग 2	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल: खरीफ फसल	सिं0	असिं0	रवि फसल	सिं0	अ0	फसल	सिं0	अ0	दोयम की भूमि: सिं0	अ0	अकृषिक भूमि: माप	भूमि	खेत मे खड़े वृक्षों की सं0	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3893	01021	13	कुलानन्द [illegible]			धान		01021												
3894	01050	13	लीलानन्द [illegible]			धान		01030	–	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]	01020		

मुताबिक नकल खसरा असल से तैयार किया

ह0/ [illegible]
पटवारी वृत [illegible]
[illegible] 05/20[illegible]

बयान

मैं केवलानन्द मैठाणी पुत्र कुलानन्द मैठाणी ग्राम मक्कू तह० ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग वाला बयान देता हूँ कि ग्राम मक्कू क्षेत्रान्तर्गत ख० खा० सं० 13 के खसरा सं० 3893, 3894 कुल रकबा 0.0710है० भूमि मेरी पुश्तैनी (बाप-दादा) की है जिसमें भवन निर्माण हेतु भूमि का समतलीकरण किया गया। भूमि समतलीकरण हेतु अनुमति सक्षम स्तर से लिये जाने की पूर्व में जानकारी ना होने के कारण अपनी भूमि समतल की गयी है। विभाग द्वारा जाँच के दौरान बिना अनुमति समतलीकरण करके/अपनी भूमि खुदान करने पर निकले उपखनिज व बिना अनुमति J.C.B. मशीन के प्रयोग करने पर विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना समस्त विभाग को जमा कर दिया गया है। वर्तमान में समतलीकरण किये गये भूमि पर अपना आवासीय भवन का निर्माण कर रहा हूँ जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

[signature]
28/8/2024
मक्कूमठ

गवाह

(1) [signature]
ग्राम मक्कूमठ

(2) (भूपेन्द्र मैठाणी) [signature]
ग्राम - मक्कू मठ
पो० - मक्कू मठ
जनपद - रुद्रप्रयाग।

संलग्नक - 09

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री केवलानन्द मैठाणी पुत्र स्व० श्री कुलानन्द मैठाणी ग्राम मक्कू पो० मक्कूमठ तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग के मूल निवासी हैं। इनका ख०खा०सं० 13 के खसरा सं० 3893 कुल क्षेत्रफल 0.0710 है० नाप भूमि पर जो कि राजस्व विभाग द्वारा जाती है, पर अपना आवासीय भवन निर्माण कर रहे है। जिसमें ग्राम सभा कि कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मैं इन्हें भली भाँति जानता हूँ तथा इनके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूँ।

स्थान- मक्कूमठ

दि० - 28/08/2024

ह० ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत ... ऊखीमठ (...)

28/8/24

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाषः 0135-2607092

UKPCB — LiFE Lifestyle For Environment

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एचओ/सा0–183–790/2025/1564 दिनांक :–27.01.2025

सेवा में,

श्री केवला नन्द,
पुत्र स्व0 कुलानन्द,
ग्राम–दौड़ा एवं ग्राम–मक्कू मटियाल तोल,
जनपद–रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–656/2024, News Item titled अवैध खनन को लेकर खनन विभाग व राजस्व विभाग, ऊखीमठ द्वारा की गयी बड़ी कार्यवाही रू0–3.0 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना में स्वतः संज्ञान लेते हुये अपील पंजीकृत की गयी। उक्त प्रकाशित खबर में वर्णित क्षेत्र **ग्राम–दौड़ा एवं ग्राम–मक्कू मटियाल तोल, जनपद–रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड** में अवैध खनन पाया गया। जिसके कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.09.2024 को आदेश पारित किया गया कि – *"Uttarakhand State Pollution Control Board is required to take step for imposition of Environmental Compensation for the damage caused to the Environment"*.

प्रकरण में आपके द्वारा किये गये अवैध खनन पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्र सं0–09/भू0ख0नि0वि0/रू0द्र0/अवै0खन0/2024–25 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा अवैध खनन की मात्रा 1075.20टन आंकलित की गयी है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0–360/2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0–337/2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹395173.1495/- आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹395173.1495/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित् करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।**

भवदीय

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अधिकारी, यू0के0पी0सी0बी0, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

सदस्य सचिव

Annexure-3

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

दिनांक 14.10.2024

त्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–790 / 2024 / 962

एन0जी0टी0 मैटर

ग में,
Registrar General
National Green Tribunal
New Delhi.

य:– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0 656 / 2024 पर दिये गये निर्देश दिनांक 25.09.2024 के क्रम में आरोपित ₹ 25,000 / – की धनराशि के सम्बन्ध में।

दय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित O.A. No. 656/2024 News Item titled "अवैध न को लेकर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग ऊखीमठ द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही, 3 लाख से अधिक का या जुर्माना" appearing in Uttarakhand Samachar dated 03-05-2024 में पारित आदेश दिनांक 9.2024 में अन्य निर्देशों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

"3. ……… Member Secretary, UKPCB has not appeared. Hence, we impose the cost of Rs. 25,000/- upon Member Secretary, UKPCB for not complying with the order of the Tribunal and not assisting the Tribunal as a result of which we have no option but to adjourn the case. Let cost be deposited by Member Secretary, UKPCB-respondent no. 1 before the Registrar General of the Tribunal within two weeks."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में ₹ 25,000 / – का डिमान्ड ड्राफ्ट सं0 "086014" तैयार कर प्रेषित किया ग है।

क: यथोपरि।

भवदीय

/

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

– श्री मुकेश वर्मा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, 50 वकील कक्ष, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature]
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय हरित अधिकरण
National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi
04 NOV 2024
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
डायरी सं. / Diary No.........
हस्ताक्षर / Signature.........